Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/टीए/7051/2002/चितोडगढ

1 पीरू उर्फ बाबूदीन पुत्र अलाउदीन
2 मुं. मुन्नी पुत्री अलाउदीन सभी निवासी पारलिया तहसील बडी सादडी जिला चितोडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1 सिकन्दर खां पुत्र वरवर खां निवासी खेरमालिया
2 मु0 शरीफन पुत्री अलाउदीन
3 मु0 आशा पुत्री अलाउदीन
4 मु0 जेतून बेवा अलाउदीन
5 मु0 गु1डडी पुत्री नजीर मोहम्मद
6 मु0 आमना पुत्री नजीर मोहम्मद सभी निवासी पारलिया तहसील चितोडगढ

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री पूर्णाशंकर दशोरा वकील प्रार्थीगण
श्री डूंगरसिंह वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः.22.2.18

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बडी सादडी द्वारा प्ररकण संख्या 270/90 में पारित आदेश दिनांक 31.10. 2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम पारलिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 548, 552, 585/3 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त

वाद में शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 2.6.76 का हिब्बानामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इसे प्रदर्शित किया जावे। वादी द्वारा इसे अपंजीकृत होना बताया गया। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक31.10.2002 से उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करना अस्वीकार किया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने अपने काबिज होने का आधार हिब्बानामा प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष नहीं मांग रहे हैं बल्कि ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज को कोलेटरल परपज हेतु उपयोग किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2011(2) आर.आर.टी. पेज 1115 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मुसलमान द्वारा लिखा गया दानपत्र का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। जिससे इस हिब्बानामा पर प्रदर्श डाला जाना आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रस्तुत दस्तावेज अपंजीकृत है जिसे साक्ष्य में ग्राहण नहीं किया जा सकता। जो दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय ही नहीं किया जा सकता उस दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप होने से यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित दस्तावेज बक्षीशनामा की तारीफ मे आता है जो अपंजीकृत होने से इस पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता, आलौच्य आदेश दिया है।

प्रदर्श डालना दस्तावेज को साक्ष्य द्वारा साबित करने की प्रक्रिया का भाग है। उसका प्रकरण के तथ्यों के आधार पर पंजीकृत होना एवं नहीं होना की स्थिति विक्रय के संदर्भ में तो राजस्व न्यायालयों के संदर्भ में भिन्न है। यहां हिब्बा (दान) का उल्लेख है और विचारण न्यायालय की यदि यह सुविचारित राय है कि कलक्टर स्टाम्प की मुद्रांक पर राय ली जानी चाहिये तो वह इसे परिरूद्ध कर पूर्ण मुद्रांकित की कार्यवाही हेतु भेज सकते हैं। किन्तु ऐसा दोहरा निर्णय नहीं हो सकता कि इस समय प्रदर्श नहीं लगेगा तथा निर्णय के वक्त गुणावगुण देखेंगे। गुणावगुण देखना अलग क्रम है पहले यह तय होगा कि क्या साक्ष्य में लेने योग्य है/पढने योग्य है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार विचारण न्यायालय कलक्टर स्टाम्प की राय मुद्रांक पर लेकर तथा कमी मुद्रांक हो तो पूर्ण

मुद्रांकित कराकर प्रदर्श अंकित किया जा सकता है। शेष गुणावगुण निर्णय के वक्त देखने योग्य रहेगा। विपक्षी की आपति है तो उसे समुचित स्थान पर फर्द अहकाम में लिखा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बडी सादडी का आदेश दिनांक 31.10.2002 निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य